न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर टोंक

प्रकरण संख्या 11/2020

मस्तराम वैष्णव ग्राम कँवरावास पोस्ट बोटून्दा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0।

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह जिला टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 15–7–2020

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह जिला टोंक को दिनांक 28–04–2020 को आवेदन प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थीः–

1– पटवार हल्का लाम्बा कलां, भूबरवास– नि. अभि., तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक में दिनांक 01–01–2019 से दिनांक 27–03–2020 तक किन किन किसानों को जमाबंदी नकल नक्शा ट्रेस प्रतिलिपि दी गई उनका नाम पता सहित व किसानों को दी गई प्रतिलिपियों से कितनी आय प्राप्त हुई है व उन प्रत्येक किसानों को दी गई प्रतिलिपि की राशि रसीद की सत्यापित प्रतिलिपि देवे।

2– व जमाबंदी, नकल, नक्शा ट्रेस की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क कितनी है उसकी सत्यापित प्रतिलिपि देवें।

3– पटवार हल्का लाम्बा कलां, भू अभि. नि. बरवास तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक के पटवारी को पटवार सर्किल में न बेठकर टोडारायसिंह में कार्यालय खोलकर बैठना क्या राज्य सरकार द्वारा आदेश है तो उसकी सत्यापित प्रतिलिपि देवें।

4– व नहीं है तो अपने क्षेत्र में नही बैठने पर आपके द्वारा कोई कार्यवाही क्यो नही की गई उसकी सत्यापित प्रतिलिपि देवें।

5– व आपके द्वारा पटवार हल्का लाम्बा कला के कार्यालय में प्रति महीने कितनी बार निरीक्षण किया जाता है छ महीने में कितनी बार निरीक्षण किया गया है उसकी सत्यापित प्रतिलिपि देवे।

अपीलार्थी को निर्धरित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 17:50:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह जिला–टोंक से आवेदक को सूचना नहीं देने के सम्बन्ध में पत्र कमांक 329 दिनांक 18–6–2020 से जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह ने उनके पत्र कमांक 2032 दिनाक 28–5–2020 से अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना रजिस्टर्ड डाक से भिजवादी गई है। आवेदक को दी गई सूचना की प्रतिलिपि से न्यायालय को अवगत कराया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह जिला टोंक को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 17:50:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner